न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

सिविल संख्या:–128/2020

निर्णय दिनांक :– 7.10.2022

उनवानी दावा :

1. रंगलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम सीतापुरा उम्र 70 साल तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. सरदारा पुत्र काना जाति मीणा आयु 75 साल निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व काना पुत्र नन्दा की सयुक्त खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 41/3, 42/2 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 23 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम धारोला तहसील दूनी स्थित है उक्त जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 की जमाबंदी में काना पुत्र नन्दा व सरदारा पुत्र धन्ना की खातेदारी में अंकित है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा–

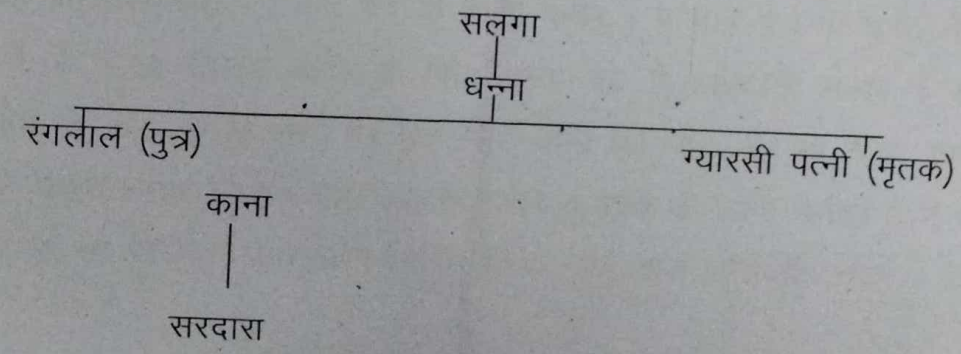

सजरे के अनुसार सालगा का पुत्र धन्ना था जो धन्ना के एक पुत्र वादी और उसकी पत्नी ग्यारसी देवी थे जिसमें से ग्यारसी देवी मर चुकी है। मृतक धन्ना के एक मात्र वारिस वादी है। इसी प्रकार सरदारा प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का नाम काना है और इसका एक मात्र उत्तराधिकारी है, सरदारा का धन्ना की जमीन से कोई सम्बन्ध नही है। विवादित आराजीयात सम्वत् 2017 से 2020 की जमाबंदी से पूर्व काना पुत्र नन्दा व धन्ना पुत्र सालगा की खातेदारी में थी प्रतिवादी नम्बर 1 ने मृतक धन्ना के वारिसान का अनपढ, व गंवार होने का फायंदा उठा कर धन्ना के हिस्से की जमीन मे स्वयं को पुत्र बताते हुए अपने नाम लगा ली और नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 13.06.1964 को स्वयं के नाम धन्ना का पुत्र बताते हुए स्वीकार करा लिया और उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी मे सरदार पुत्र धन्ना अंकित का दिया गया जबकि सरदारा का धन्ना की जमीन से कोई सम्बंध नही है। हाल ही में दूनी तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान चरण नम्बर 1 में वर्णित साबिक खसरा नम्बर के हाल खसरा क्रमशः 1304, 1305, 1324, 1325, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1361, 1364, 1365, 1367 किता 13 कुल रकबा 3.00 है0 बना दिए गए है और जमाबंदी संख्या 2074 से 2077 में काना पुत्र नन्दा 1/2 हिस्सा व सरदारा पुत्र काना व रंगलाल पुत्र धन्ना 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत है सरदारा का धन्न की जमीन से कोई सम्बंध नही है। प्रतिवादी संख्या 1 बहुत ही चालाक व्यक्ति है जब उसे पता चला कि विवादित भूमि में से मेरा हिस्सा कही निकल नही जाए इसलिए उसने नामान्तकरण संख्या 31 में दर्ज करवायी गयी अपनी वल्दियत सरदारा पुत्र धन्ना संशोधित कराते हुए नामान्तकरण 446 दिनांक 20.02.79 को अपनी वल्दियत धन्ना के बजाए काना अंकित करवा ली और उसके आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में सरदारा का नाम संशोधित कर दिया गया जो बिल्कुल गलत है। वाद पत्र के चरण नम्बर 1 व वाद पत्र के चरण नम्बर 5 में आराजीयात में से 1/2 हिस्सा वादी के पिता धन्ना का है प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त विवादित जमीन से कोई सम्बंध नही है। इस लिए वादी को वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित साबिक खसरा नम्बर जिसके हाल खसरा नम्बर वादपत्र के चरण नमबर 5 में अंकत हे मे से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम

उक्त जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में से डिलिट किया जावे। विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्से का काना वल्द नन्दा मीणा भी सह खातेदार है उससे वादी को कोई एतराज नही है क्योंकि उसका विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा है उसके खिलाफ किसी प्रकार की अधियाचना नही चाही गई है इस कारण उसे वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। विवादित आराजियात में से 1/2 हिस्से पर वर्तमान में वादी का कब्जा है । प्रतिवादी संख्या 1 आए दिन वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमत करता है तथा विवादित आराजीयात जो 1/4 हिस्सा उसके नाम गलत अंकन हो रखा है उस हिस्से को बेचने की धमकी देता है इस कारण प्रतिवादी न. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के विवादित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे उसके नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अवैध अंकन हो रखा है उसे अन्य किसी को रहन, दान, बेचान, आदि नही करे तथा प्रतिवादी नं0 2 को भी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह उसके समक्ष विवादित आराजीयात का पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो पंजीयन नही करे ओर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी नं0 2 विवादित जमीन का लेण्ड होल्डर है इस कारण उसको पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा आज से लगभग 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं0 1 ने वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत की ओर अपना हिस्सा अन्य को बेचने की धमकी दी जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा अ0 धारा 88, 92ए, 188 राज0टी0एक्ट0 के तहत अन्दर मियादपूर्ण कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथपत्र पी.डब्ल्यू–1 रंगलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक का पेश किया। शपथ पत्र में वाद के तथ्यो को ही पेश किया। वादी ने प्रदर्श– करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 नामान्तकरण संख्या 446 प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2074–77 प्रदर्श–3 जमाबन्दी प्रदर्श–4 नामान्तकरण संख्या 31,

प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2017–20 प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2017–20 प्रदर्श–9 आधार कार्ड प्रदर्श–10 पहचान पत्र पेश किये है।

वादी ने साक्ष्य शपथपत्र पी.डब्ल्यू–2 किशनलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक व साक्ष्य शपथपत्र पी.डब्ल्यू–3 श्योजी पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 व 3 ने भी वाद के तथ्यो को संक्षिप्त में वर्णित किया।

साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि जमबन्दी सम्वत 2017–20 में काना पुत्र नन्दा व सरदारा पुत्र धन्ना का अंकन है। जबकि वास्तव में सरदारा काना का पुत्र था। बाद में सरदारा ने नामान्तकरण संख्या 31 में अपने पिता का नाम काना का अंकन करवा लिया जो गलत है। वास्तव में सरदारा का धन्ना की जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु उक्त अवैधानिक कृत्य के कारण जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में काना पुत्र नन्दा 1/2 व सरदारा पुत्र काना व रंगलाल पुत्र धन्ना के नाम का अंकन है जो गलत है। इस गलत अंकन को सही करवाने के लिए वाद उद्घोषणा का पेश किया है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी के बहस व वाद मिमो पर मनन किया। वाद अनुसार वाद वर्णित विवादित आराजी में वादी रंगलाल धन्ना का इकलोता जायज वारिस है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से धन्ना का पुत्र बनकर 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवा ली और बाद में अपने वास्तविक पिता का नाम नामान्तकरण खुलवा कर 1/4 हिस्से को अपने नाम करवा लिया जिसको दुरूस्त करवाकर वादी धन्ना की खातेदारी जमीन को अपने नाम खातेदारी करवाना चाहता है, जिसके लिए वादी ने यह वाद पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2017–20 में खातेदारी कॉलम संख्या 5 में खाना पुत्र नन्दा व सरदारा पुत्र धन्ना जाति मीणा साबिक खसरा नम्बर 41/3, 42/2 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 23 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम

धारोला तहसील देवली का अंकन है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–6 के अनुसार उक्त साबिक ख. नं. से हाल खसरा क्रमशः 1304, 1305, 1324, 1325, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1361, 1364, 1365, 1367 किता 13 कुल रकबा 3.00 है0 बने है। प्रदर्श–1 नामान्तकरण संख्या 446 में कॉलम संख्या 5 में काना वल्द नन्दा व सरदारा वल्द धन्ना, कॉलम संख्या 11 में काना वल्द नन्दा व सरदारा वल्द काना रंगलाल वल्द धन्ना जाति मीणा व कॉलम संख्या 16 में सरदारा की वल्दियत गलत है। सरदारा वल्द धन्ना की बजाय सरदारा वल्द काना अंकित किया जाता है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी में खातेदार के कॉलम में काना वल्द नन्दा व सरदारा वल्द काना रंगलाल वल्द धन्ना मीणा का अंकन है। प्रदर्श–4 नामान्तकरण संख्या 31 में कॉलम संख्या 5 में काना वल्द नन्दा धन्ना वल्द सालगा कॉलम संख्या 16 में धन्ना का इन्तकाल हो चुका है, सरदारा उसका वारिस हैं, कॉलम संख्या 11 सरदारा पुत्र धन्ना का अंकन कर दिया। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादी ने चरण संख्या 2 में वर्णित किया है कि सम्वत 2017–20 की जमाबन्दी से पूर्व काना पुत्र नन्दा व धन्ना पुत्र सालगा की खातेदारी थी। जबकि वादी ने प्रदर्श–4 से पूर्व का ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया कि उक्त भूमि धन्ना पुत्र सालगा की खातेदारी भूमि थी। वादी द्वारा वाद को आवश्यक राजस्व दस्तावेज व साक्ष्यो से साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

उज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा :

रंगलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम सीतापुरा उम्र 70 साल तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. सरदारा पुत्र काना जाति मीणा आयु 75 साल निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण—

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज,एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 128 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादी द्वारा वाद को आवश्यक राजस्व दस्तावेज व साक्ष्यो से साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 10 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

D.Das